न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2023

किसुन महतो.....वादी

बनाम

बिहार सरकार मार्फत समाहर्ता एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
27.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.05.2024 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादी ने अपने हकियत का फैसला और दखल कब्जें की सम्पति सहित अन्य दादरसी हेतु लाया है। प्रतिवादी सं0–01, प्रतिवादी प्रथम पक्ष को बमेल एवं साजिश में लेकर वादी का वादग्रस्त भूमि पर जो आवासीय घर, नाँद, खुँटा, चापाकल एवं दरखतान कायत है, को उजाडकर घर एवं काटकर बर्वाद कर देने एवं वादी को बेदखल कर देने पर आमादा है। वादी के लगातार आग्रह के बावजूद भी प्रतिवादीगण अपने नाजायज कार्यवाही से बाज नहीं आ रहे है तथा किसी भी वक्त वादी को बेदखल कर वादी के आवासीय घर, नाँद, खुँटा, चापाकल वगैरह को बर्वाद कर सकते है, लेहाजा न्यायहित में आवश्यक है कि किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन तलब कर लिया जाय ताकि वादग्रस्त भूमि की ततष्ट स्थिति अभिलेख पर मौजूद हो सके। वादग्रस्त भूमि न्यायालय परिसर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वादी अधिवक्ता आयुक्त के मद में होने वाले शुल्क को वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का आवेदन स्वीकार करते हुये स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करते हुये वादग्रस्त भूमि का प्रतिवेदन की मांग आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर करने कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगा। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–148/2023</u>

किसुन महतो.....वादी

बनाम

बिहार सरकार मार्फत समाहर्ता एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 27.11.2024	का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। वादी द्वारा आवेदन देकर प्रार्थन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी समय वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति को बदलने के लिए आमादा है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का कार्य वादग्रस्त भूमि का वाद लंबन के दौरान संरक्षण करना होता है। अतः ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 22.05.2024 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में आवेदन में वर्णित तथ्यों पर फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–3000/– रूपये वादीगण के द्वारा वहन किया जायेगा। अधिवक्ता आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह दो सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। वाद दिनांक 11.12.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	